प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.04.2026

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त विशाल पुत्र वेदप्रकाश निवासी भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर द्वारा वादिया के साथ नौकरी लगवाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना तथा अश्लील फोटो / वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देना व पैसे ट्रांसफर करा लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं- 69/123/115(2)/351(3)/77 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 10.04.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र वेदप्रकाश निवासी भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पीडिता को करीब 05 साल से जानता हूँ, मैंने पीडिता को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उसके साथ गलत काम कर दिया तथा मैंने उसकी फोटो/वीडियो बना ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

विशाल पुत्र वेदप्रकाश निवासी भूपेन्द्रपुरी गेट थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25/03/2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी कुलदीप निवासी-ग्राम सभापुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त शोभाराम उर्फ जगत सिह पुत्र भिक्कन द्वारा अपने साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर जबरदस्ती केएल फार्म हाउस में घुसकर वादी के भाई नीरज व गौरव के ऊपर जानलेवा हमला कर घायल कर देना व वादी की बहन के साथ छेडखानी करना एवं जान से मारने की धमकी व गाडियों को क्षतिग्रस्त कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धाराओं 61(2)/74/75/76/109(1)/190/191(2)/191(3)/324(4)/351(3) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.04.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जगत सिंह उर्फ शोभाराम पुत्र भिक्कन सिंह उम्र करीब 52 वर्ष निवासी गांव सभापुर रामपाल चौक थाना सोनिया विहार दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त जगत सिंह उर्फ शोभाराम उपरोक्त ने बताया कि मेरा मेरे गाँव के नीरज के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, उसी विवाद के चलते उस दिन मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज पर उसे डराने व धमकाने के लिये हमला किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जगत सिंह उर्फ शोभाराम पुत्र भिक्कन सिंह निवासी गांव सभापुर रामपाल चौक थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग, दिल्ली में मारपीट व आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग तथा थाना लोनी पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग व आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी बरामद।

दिनांक 11.04.2026 को शांति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान थाना कविनगर पुलिस टीम डीपीएस रेलवे फाटक के पास (कविनगर से संजयनगर की ओर जाने वाले रास्ते पर) चेकिंग कर रही थी। तभी सामने से मोटरसाइकिल पर आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में वाहन को पीछे मोड़ने की कोशिश की, जिसे घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया गया।

पकड़े गए अभियुक्त की पहचान **रितिक मैसी** पुत्र स्व. श्री अनिल मैसी (निवासी: म.न. 103/2, गली नंबर 3, अशोक नगर, थाना ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली; हाल पता: तृतीय तल, जयपुरिया-2, थाना वेब सिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष) के रूप में हुई। अभियुक्त को डीपीएस रेलवे फाटक के पास, चौकी सेक्टर-09 राजनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ के दौरान अभियुक्त रितिक मैसी ने स्वीकार किया कि उसके पास मौजूद मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे उसने कल आरडीसी (RDC) क्षेत्र से चोरी किया था। अभियुक्त ने आगे बताया कि उसने कुछ अन्य वाहन भी चोरी किए हैं, जिन्हें रेलवे रोड पर सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में पेड़ों के बीच छिपाकर खड़ा किया है। अभियुक्त की निशादेही पर बताए गए स्थान से 03 अन्य वाहन (दो स्कूटी व एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल) बरामद किए गए। वाहनों के कागजात मांगने पर अभियुक्त ने बताया कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं हैं और वह इन चोरी के वाहनों को ग्राहक मिलने पर अपनी मजबूरी बताकर बेचने की फिराक में था।

अभियुक्त का नाम व पता: रितिक मैसी पुत्र स्व. श्री अनिल मैसी निवासी: म.न. 103/2, गली नंबर 3, अशोक नगर, थाना ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली। हाल पता: तृतीय तल, जयपुरिया-2, थाना वेब सिटी, जिला गाजियाबाद। उम्र: करीब 23 वर्ष।

बरामदगी:

1. दो मोटरसाइकिल
2. दो स्कूटी

अपराधिक इतिहास:अभियुक्त रितिक मैसी के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी व बरामदगी के मुकदमे पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम: थाना कविनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 31.01.2026 को थाना खोड़ा पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे भाई श्रीपाल की होटल के मालिक व होटल कर्मचारीगण ने मारपीट कर हत्या कर दी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में दिनांक 01.02.26 को होटल मालिक धर्मेन्द्र शर्मा व दिनांक 05.02.26 को वांछित अभियुक्तगण राजन, सूरज व विशेष उर्फ अभिषेक, सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 10.04.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर शेष बचे अभियुक्त नागेश पुत्र शिव सिंह नि0 ग्राम मुखड़ा थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 30 वर्ष को कस्बा भाउलपुर थाना सौरिख से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं अम्बेडकर रोड पर वैष्णों शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर नौकरी करता था । दिनांक 30.01.26 की रात्रि करीब 10 बजे तीन व्यक्ति श्रीपाल, सत्यम, अनुराग खाना खाने के लिए आये थे । खाना माँगने को लेकर होटल पर मुझसे उनकी कहासुनी हो गयी थी । कहासुनी के दौरान उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने मुझको चाँटा मार दिया था । उसके बाद तीनों व्यक्ति पीछे गली में चले गये थे । धर्मेन्द्र शर्मा , मैं व अन्य कारीगर आवेश में आ गये थे । उसके कुछ देर बाद योजना बनाकर मैंने, धर्मेन्द्र शर्मा व विशेष तथा उसके जानकारों को इकट्ठा कर योजना बनाते हुए बदला लेने के उद्देश्य से होटल से लाठी-डंडे व खाना बनाने के चाकू लेकर पीछे गली में पहुँचे । जिन्हें देखकर हम लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे वो तीनों व्यक्ति लहूलुहान हो गये वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। तीनों व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गये थे जिन्हें हम वहीं छोड़कर भाग गये थे । मुझे सुबह पता चला था कि उन तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है एवं तीसरा व्यक्ति भी गंभीर रुप से घायल है जिसका ईलाज चल रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- नागेश पुत्र शिव सिंह नि0 ग्राम मुखड़ा थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 30 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम ।